दस्तूर कौमवार - जयपुर राज्य के ऐतिहासिक अभिलेख (विक्रम संवत 1700-2000)

डॉ. महेश कुमार दायमा
वरिष्ठ सहायक आचार्य,
इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर,भारत

Abstract / सारांश

दस्तूर कौमवार जयपुर अभिलेखों की एक महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है। इन अभिलेखों में विशेष रूपसे जयपुर रियासत तथा भारत की अन्य देशी रियासतों एवं केन्द्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध है।

दस्तूर कौमवार के अभिलेखों का समय विक्रम संवत 1700 से 2000 तक है जो तोजी बंडल व सजिल्द पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है। तोजी बण्डल खुले पत्र हैं, जिन्हें इकट्ठा करके नत्थियों एवं बण्डलों का रूप दिया गया है। इस प्रकार कुल 42 बण्डल उपलब्ध हैं। प्रत्येक बण्डल कई जातियों के तोजी वरकों को जो कि अलग-अलग नत्थियों में बंधे हुए हैं, मिलाकर बनाये गये हैं। बड़ी जातियों के पूरे-पूरे बण्डल ही उपलब्ध हैं। प्रत्येक बण्डल पर सूची क्रमांक तथा उन जातियों के नाम लिखे हुए हैं जिनका विवरण बण्डल में मिलता है। साथ ही प्रत्येक बण्डल में पृष्ठ संख्या भी दर्ज की हुई है।

दूसरे रूप में ये अभिलेख सजिल्द पुस्तक रूप में हैं। इस प्रकार की कुल 34 पुस्तकें हैं। तोजी रूप में जो अभिलेख उपलब्ध हैं, उन्हीं की नकल

स्पष्ट एवं सुन्दर लेखनी से इन पुस्तकों में अंकित की गई है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता वह विषय-सूची है जो पुस्तक क्रमांक 33 व 34 में अंकित की गई है। इसी क्रम में वर्गीकरण पुस्तक क्रमांक 1 से 32 तक इन अभिलेखों में उपलब्ध हैं। विषय सूची देखकर जिस जाति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उस जाति की पुस्तक की संख्या तथा पृष्ठ संख्या ज्ञात करके बड़ी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पुस्तक पर पुस्तक संख्या, विषय रदीफ, जाति लिखे हुए हैं। इनमें जो भी जाति दर्ज की गई है उसे अकारादिक्रम में रखा गया है। प्रत्येक पुस्तक में जातियों अथवा व्यक्तियों के नाम भी इसी क्रम में ही लिखे हैं। लिखावट इतनी सुन्दर व स्पष्ट है कि कोई भी हिन्दी भाषी सहज ही में इसे पढ़ सकता है।

'दस्तूर' फारसी शब्द है जिसका अर्थ है रीति, नियम, विधि, रहस्य, खोज तथा कायदा और 'कोम' का अर्थ है जाति। उपर्युक्त क्रम के अनुसार इस अभिलेख श्रृंखला में निम्नलिखित वर्गीकरण अध्ययन की दृष्टि से देख पाते हैं - राजघराने के अभिलेख, राज्य की अन्य जातियों के अभिलेख, उत्सव आदि के अभिलेख, ठिकानेदारों से संबंधित अभिलेख, अन्य देशी रियासतों के संबंध, केन्द्र अथवा फिरंगियों से संबंध, ठाकुरद्वारेके अभिलेख, कर्मचारी वर्ग, जाति के अभिलेखमुतफरकात अभिलेख आदि।

राजघराने के अभिलेख दो रूपों में मिलते हैं - कछुआ (कच्छवाहा, कछवाहा) जाति के अभिलेख और राजलोक के अभिलेख। कच्छवाहा, जयपुर राज्य के राजा इसी जाति के थे, इसलिए इस जाति के सारे अभिलेख राजघराने से संबंधित माने गये हैं। राजलोक अभिलेख वे अभिलेख हैं जिनमें वर्णित व्यक्ति राज परिवार अथवा राजा के निकट के संबंधी हैं। इस क्रम में महाराजा कुमार, महाराण्यां माजी साहब, काकीजी, बहूजी बाईमाणस, ख्वास, ख्वासवाल, बड़ारण आदि आते हैं। इन अभिलेखों में गद्दी, नशीनी, ब्याह, सगाई, बधाई, उत्सव, मुण्डन संस्कार, सोग, मातमी आदि अवसरों पर होने वाले राजघराने के रस्मों-रिवाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जयपुर राजघराने से संबंधित जातियों के अभिलेखों से तात्पर्य राजपूत

जाति की वे शाखाएं हैं जो राजघराने के अति निकट थी। इस जाति के लोग राज्य में बड़ी-बड़ी जागीरों के मालिक थे। इन जातियों में राजपूत, राठौड़, भाटी, हमीरदे, बड़गूजर, तंवर, राजावत, पूर्णमलोत, चूड़ावत, गोगावत, ठीकरवाल, भाखरोत, नाथावत, कुम्भावत, बलभद्रोत, किलोनोत, व शेखावत आदि हैं।

राज्य की अन्य जातियों के अभिलेख में उन समस्त जातियों को ले सकते हैं जो उस समय राज्य में निवास करती थी। इन जातियों में प्रमुख जातियां एवं उपजातियां इस प्रकार हैं -

ब्राह्मण : व्यास, पुरोहित, तिवारी, सनावड़, मिश्र, पालीवाल, बंगाली, कश्मीरी, अचारज, ओझा व भट्ट।

महाजन : माहेश्वरी, सरावगी, खण्डेलवाल, अग्रवाल व ओसवाल

गुसाई : महन्त, स्वामी

अन्य : अहीर, गूजर, जाट, कहार, सिख, दर्जी, खाती, रैगर, खत्री, नाई, धोबी आदि।

प्रमुख राजकीय उत्सव जो अभिलेखों में वर्णित है उनमें तीज, गणगौर, दशहरा, दीपावली, होली प्रमुख हैं। इन त्योहारों परराज्य की ओर से निभाए जाने वाले रस्मो-रिवाज का वर्णन इन अभिलेखों में है। ठिकानेदारों से संबंधित अभिलेखों में मुख्य ठिकाने जो अभिलेखों में वर्णित है मोजाहेडा, मित्रपुर, बरवाड़ा, झिलाय, कामां, टोडाभीम, अलूद, इसरदा, पीपलदा व बोराद आदि इसी प्रकार अन्य देशी रियासतों के साथ संबंध की सूचना देने वाले अभिलेखों में देशी रियासतों के नरेशों की जातियांे के आधार पर जो नाम उपलब्ध होते हैं वे इस प्रकार हैं - राठौड़ जाति के नरेश जिनमें जोधपुर, बीकानेर किशनगढ़-रूपनगर आदि नरेश हैं। हाड़ा जाति के कोटा व बून्दी, सिसोदिया मेवाड़, दक्षिणी इन्दौर, ग्वालियर व जैसलमेर के भाटी तथा कश्मीर के खंगारोत प्रमुख है। इन अभिलेखों में विशेष तौर पर विभिन्न रियासतों के नरेशों की जयपुर यात्रा के समय पर किये गये प्रबंध व उनके पद के अनुरूप निभाये गये रस्मों-रिवाज तथा उनके सम्मान में आयोजित

आयोजनों का वर्णन मिलता है।

केन्द्रीय शक्ति व अंग्रेजों से संबंधित अभिलेखों में उन सभी अंग्रेजों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है, जो भारत में आए हुए थे तथा जयपुर राज्य के साथ किसी भी प्रकार का रस्म निर्वाह हुआ था। ठाकुरदारा के अभिलेख उन सभी धर्म गुरूआंे चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान के बारे में बतलाते हैं जिन्हें राज्य से सम्मान, आदर, सत्कार वपरवरिश तथा पुण्यार्थ राज्य की ओर से दिया गया था। गुरू, सन्त, महन्त, फकीर, इमाम आदि राज्य में बड़े पूज्य थे एवं स्वयं जयपुर नरेश इनके डेरों पर जाकर दर्शन लाभ प्राप्त किया करते थे। ठाकुरद्वारा अभिलेख में उन अभिलेखों को भी गिनवाया गया है जो राज परिवार अथवा राज्य से प्राप्त संरक्षण वाले मंदिर थे। इन अभिलेखों में मंदिर बनवाने वाले का नाम, मंदिर का स्थान विशेष, पुजारी, मंदिर का खर्च व आर्थिक सहायता तथा आर्थिक निर्वाह हेतु राज्य से पुण्य में प्राप्त भूमि तथा राज्य की ओर से दर्शन केसमय दिए गए दस्तूर आदि का वर्णन मिलता है।

जयपुर राज्य के कारखानों में कार्यरत कारीगर, मजदूर व हस्तकुशल व्यक्तियों तथा उनके सहयोगी अन्य व्यक्तियों को राज्य के कर्मचारी वर्ग में मानते हुए इनका उल्लेख अलग प्रकार से कर्मचारी वर्ग की जातियों के अभिलेख रूप में हुआ है। मुतफरकात श्रेणी के अभिलेखों में विभिन्न छोटी-छोटी जातियों, छोटे-छोटे उत्सवों व कुछ इस प्रकार के मिले-जुले अभिलेख हैं जिनका तारतम्य नहीं माना जा सकता है। जाति विशेष के तौर पर इन अभिलेखों में उन जातियों का वर्णन है, जो मुख्य रूप से अपना पारम्परिक व्यवसाय करते थे जैसे मसालची, तारकश, ढोली, भगतण, हरकारा, सलावट, तोपची, नगारची व भगत आदि।

उक्त वर्णित विवेचना से यह लक्ष्य तो स्पष्ट है कि दस्तूर कौमवार, अभिलेख श्रृंखला, जयपुर राज्य के गत ३०० वर्षों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिकइतिहास का ऐसासंदर्भ स्रोत है कि जिसमें शोध अध्येताओं के लिए शोध की वृहत संभावनाएं हैं।

राजघराने के अभिलेख

महाराजा सवाई जयसिंहजी के राजतिलक व जयपुर बसाने का वर्णन सम्वत् 1745 मिती मागश्र बुदि 7 ज्यो श्री जी की जनम मिती सदर ने हुवो अर राजतिलक आमेर बैठयामिती फागण बदि। सम्वत् 1756 के साल जयपुर के धूणी लगाई सम्वत् 1784 के साल सवाई जयसिंजी।

राजघराने से सम्बन्धित जातियों के अभिलेखः "सम्वत् 1777 मिती मागश्र बुदि ने बाबत मेहमदस्याह पादस्याह की हजूरी भेज्या छा सो पादस्याह जी की लार संधियां से लडया भला दिखाया फते करि आया सो अजरूप मेहरबानगी सिरोपाव कीमती साविकी 50111-"

उपर्युक्त वर्णन सुखस्पंध नामक किलाणोत जाति के व्यक्ति का है जिसे सिंधिया राजाओं से लड़ने हेतु राजपूत सेना के साथ बादशाह की हजूरी में भेजा गया था।

अन्य जातियों से संबंधित अभिलेख[1]

इस प्रकार के वर्णन में बंगाली, ब्राह्मण, विद्याधर जो कि राज्य में दीवान के पद पर थे उल्लेखनीय है। इनके द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य करवायाजाने की प्रशंसा स्वरूप उल्लेख है - सम्वत् 1783 मिली भादवा वद 5 मुकाम आमेर का व इस्य विद्याधर संतोखराम की पण्डा ज्यो सवाई जयगढ़ खिताब आच्छयो बणयो सो अजरूप महरबानगी बगस्या थान 5, जोड़ी सोने का कड़ा 2।

राज्य के उत्सव आदि के अभिलेख

इस रूप में गणगौर व होली का वर्णन उल्लेखनीय है। गणगौर सवाई जयपुर की में "सम्वत् 1814 मिति जेठ बुदि 1 ने गणगौर का बांट्या गणगौर वाला ने दिया मुवाफिक हुक्म परवानगो सेवाराम दरोगा।"

होली - सम्वत् 1816 मिति फागण बुदि 2 ने बाबत होली की गोठ का संवत् 1815 का रूपया दिया 25।

अन्य देशी रियासतों से संबंध2

इस हेतु बीकानेर व जोधपुर के राजाओं से जयपुर नरेश की

मुलाकात का वर्णन उल्लेखनीय है। सम्वत् 1812 मिति मगसर सुदि 1 मुकाम सवाई जयपुर श्री जी सवार होय हरगोतवड़ा का बाग में पधारया स्यात येक बिराज्या फेर हाथी सवार हुआ... आमेर सूं राजमल जी के बाग सूं महाराजा विजयसिंहजी जोधपुर का व राजा गजसिंह जी बीकानेर का दोनूं हाथी चढ़या आया पाछे हाथी वो भी बैठा दिया श्री जी भी बैठा दिया उत्तर बगलगिरी करी। पाछे तीनूं राजा हाथी तीन पर सवार हुआ।

राज्य का केन्द्र अथवा फिरंगियों के साथ संबंध3

इस रूप में यह उदाहरण उल्लेखनीय है। "सम्वत् 1810 मिति काती बुदि 4 ने मुकाम - महाबत खां रै तीती सराय हर का श्री जी सवार होय दीवान हरगोविन्द ने हाथी के पिछोकड़े चढ़ाये सा श्री पातस्याह जी नवाब बहादूर के बाग के मुतसिल आया सो बठे मुलाजमति करवा पधारया सो वजीर पोशवा आय मिल्यों फेर श्री जी ने पातस्या की हजूरी में ले गयो पातस्याह जी तख्त बिराज्या जब श्री जी नजर मोहर 9) मोहर 1000) की थेली नजर की फेरी बाग में जाय बिराज्यां"

गुरू, संत, महन्त, फकीर आदि से संबंधित अभिलेख4

इस रूप में महंत बालानन्द और ठाकुरद्वारा का वर्णन उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय है। "महंत श्री बालानन्द जी - मिति चेतबुदि 8 ने श्रीजी सवार होय बालानन्दजी विरजानंदजी को चेला के पधारया मोहर 10), नारेल 2 चढ़ाया फेर बालानंदजी दुपट्टो परसाद खास चैकी का उमराव व मुंतसदयां ने दिया।

ठाकुरद्वारा5

"सम्वत् 1792 मिति फागन सुदि 13 मुहाफिक डोल पूज्य अन कोट वगैरह के वास्ते मिति तफसील जेल हुक्म हुवा रूपया 12600), मोहर सीगे पुन्य के तीमधे ठाकर श्री विनेलालजी गोवर्धन परबत विराज्यो त्यों को अनकोट के वास्ते मिति कार्तिक बुदि 2 संवत 1792 में सीगे पून्य के रूपया 100)"

इस प्रकार दस्तूर कौमवार जयपुर राज्य के लिए एक

महत्वपूर्णअभिलेख श्रृंखला है जिसके माध्यम से तत्कालीन राज्य की स्थिति का सही चित्रण व जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये अभिलेख जयपुर राज्य के साथ-साथ समकालीन राजपूताना के अन्य रियासतों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व धार्मिक पहलुओं की भी जानकारी प्रदान करते हैं।

दस्तूर कौमवार अभिलेख

पुस्तक	रफीक	वर्णित जाति संख्या
1 - 2	अ से क	अहीर, कुभाणी, कछुआ, कायस्थ व कल्यानोत
3 - 4	ख	खंगारोत, ख्वास, खींची
5	ग, घ	गूजर, गुसाईं, गोगावत, घुड़चढ़ा
6	च	चोहाण, चेला, चत्रभुजोत
7	ज	जादम, जाट व जेठी आदि
8 - 10	ठ, त, द	ठाकुरद्वारा, तंवर, देवड़ा, दरजी, दिखणी
11	ध, न	धीरावत, नरूका, नाई, नाथावत
12 - 14	प, फ	पंवार, पलटण, फिरंगी
15 - 17	ब, भ	ब्राह्मण, बुन्देला, बाघेल, बीजावत, भाटी
18 - 23	म	मुसलमान, महाजन, मेहरा, मीना व मुतफरकात
24 - 28	र	राजलोक, राजावत, राजा, राठोड़
29 - 31	श, स	शेखावत, सिसोदिया, स्वामी
32	ह	हाड़ा, हमीरदे आदि

संदर्भ ग्रन्थ

1. दस्तूर कौमवार अभिलेख संख्या 15-17, जयपुर रिकॉडर्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
2. दस्तूर कौमवार अभिलेख संख्या 31-32, उपर्रोक्त, रा.रा.अ. बीकानेर
3. दस्तूर कौमवार अभिलेख संख्या 11-12, उपर्रोक्त, रा.रा.अ. बीकानेर
4. दस्तूर कौमवार अभिलेख संख्या 15-17, उपर्रोक्त, रा.रा.अ. बीकानेर